न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 44/19 **दायर दिनांक 18.03.2019**

विजय लक्ष्मी पत्नि श्री मुरारीलाल जाति धोबी निवासी वार्ड न0 17 नजदीक पीरखाना पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

—वादीया

बनाम

1. रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एपी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रुघाराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53—209 आरटीए

उपस्थित :—

(1) श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी, अभिभाषक वादीया
(2) श्री भगवानदत्त शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2
(3) पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ

निर्णय दिनांक 13.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया की संयुक्त खाता मे चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 की खाता सं. 36 नई 35 पुरानी मे मु0न0 46 प0न0 234/40 कि0न0 15, 16, 25 = 0.759 है0 कमाण्ड, मु0न0 47 प0न0 234/48 कि0न0 11/1, 12, 18, 19, 20/1, 21/1, 22 ता 24 = 2.202 है0 (कमाण्ड 0.709, अ0क0 1.493), मु0न0 52 प0न0 235/41 कि0न0 1/1, 2 ता 3 = 0.734 है0 कमाण्ड, मु0न0 53 प0न0 235/33 कि0न0 5 की 0.253 है0 कमाण्ड कुल 3.948 है0 (कमाण्ड 2.455 है0 व 1.493 है0 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि में सें 1/3 हिस्सा भूमि इन्तकाल सं. 202 दिनांक 20.03.2018 बैयनामा द्वारा मुझ वादीया के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जिसकी मै वादीया 1/3 हिस्सा की विधिक रुप से हिस्सेदार खातेदार मालिक व काबिज हूँ। उक्त संयुक्त खाता की भूमि मे से श्रीमती कश्मीर देवी वगै0 से जरिये बैयनामा दिनांक 09.03.2018 को संयुक्त खाता मे /3 हिस्सा मुझ वादीया को विक्रय किया था। जिसका राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा की खातेदार का अंकन इन्तकाल सं. 202 दिनांक 20.03.2018 द्वारा मुझ वादीया के नाम से हो चुका है। भूमि का विधिक बटवारा नही होने के कारण भूमि सुधार, काश्त करने, व अन्य फसली ऋण आदि उठाने मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा भूमि की राजस्व रकम व मामला आदि जमा करवाने मे अकसर विवाद बना रहता है जिसका एकमात्र हल खाता विभाजन हैं तथा वादीया खातेदार कृषक होने के कारण वादीया उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने की मुश्तहक है। वादीया ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादीगण सपष्ट इन्कार हो गये। इस कारण से वादीया के द्वारा अपना यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामील किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील उपस्थित हुये और दावा का खण्डन करते हुये अपना जबाब प्रस्तुत किया ... अंकित काश्तकार राजाराम, रुघाराम, लेखराम पिसरान श्री सुरजाराम के मध्य ... भूमि का सुधार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:39:35 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश —

प्रतिवादीगण के द्वारा किया हुआ है व इसी अनुसार वादीगण अपनी भूमि पर काबिज है। पूर्व में हुये बटवारा अनुसार वादी अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने पूर्व कब्जानुसार ही खाता विभाजन चाहते है। विभाजन नियमों के अनुसार मौका के कब्जा काश्त को ध्यान मे रखते हुये ही खाता विभाजन किये जाने का प्रावधान है। वादीया ने पूर्व अंकित काश्तकार लेखराम के वारिसों से भूमि खरीद की है। प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन पूर्व मे मौखिक रुप से हो चुका है। उसी अनुरुप वादीया को कब्जा खरीद के समय दिया गया। था। कब्जानुसार खाता विभाजन का निवेदन किया। दिनांक 21.07.2020 को वादीया के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है साथ मे राजीनामा की प्रति प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा को निर्णित करवाने का निवेदन किया, जिसके अनुसार निम्न प्रकार से पक्षकारान ने आपसी सहमति से भूमि का बटवारा किया है, जो कि निम्न प्रकार से है :–

<u>वादीया श्रीमती विजयलक्ष्मी को दी जाने वाली भूमि :–</u>

चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के प0न0 234/40 कि0न0 कि0न0 15/0253 क0, 16/0.253 क0, 25/0.085 क0 = 0.591 क0 व प0न0 234/48 कि0न0 11/1/0.228 अ0क0, 12/0.253 अ0क0, 19/0.016 अ0क0 (कि0न0 12 के चिपते) 20/1/0.228 = 0.709 (0.228 क0 0.481 अ0क0) इस प्रकार कुल 1.316 है0 (0.819 कमाण्ड व 0.497 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि

<u>प्रतिवादी रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम को दी जाने वाली भूमि</u>

चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के प0न0 235/41 कि0न0 1/1/0.228 क0, 2 व 3/0.506 कमाण्ड = 0.734 है0 कमाण्ड व प0न0 234/48 कि0न0 22/0.084 क0 (कि0न0 23 के चिपते) 23/0.246 अ0क0 कि0न0 24/0.253 अ0क0 = 0. 583 है0 (0.499 अ0क0 व 0.084 क0) इस प्रकार कुल 1.317 है0 (0.818 कमाण्ड व 0.499 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि

<u>प्रतिवादी रुघाराम पुत्र श्री सुरजाराम को दी जाने वाली भूमि</u>

चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के प0न0 234/48 कि0न0 18/0.253 अ0क0, 19/0. 237 अ0क0, 21/1/0.228 क0, 22/0.169 क0 (कि0न0 21 के चिपते), 23/0.007 अ0क0 (कि0न0 18 के चिपते) = 0.894 है0 (0.497 अ0क0 व 0.397 क0) व प0न0 235/33 कि0न0 5/0.253 क0इस प्रकार कुल 1.317 है0 (0.818 कमाण्ड व 0.499 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि

इस प्रकार पक्षकारो के मध्य आपसी सहमति सें भूमि के किये गये बटवारा व राजीनामा के अनुसार उभय पक्षों की बहस सुनी गई वादी व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओ ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने का निवेदन किया, जिससे किसी भी पक्षकार को कोई एतराज नही है। जिस पर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसला शुमार होकर तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

आ0 21 रुल 6, 7 जाब्ता दीवानी

डिकी बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

अनवान :

विजय लक्ष्मी पत्नि श्री मुरारीलाल जाति धोबी निवासी वार्ड न0 17 नजदीक पीरखाना पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

––वादीया

बनाम

1. रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एपी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. रुघाराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–209 आरटीए मुकदमा नम्बर 44 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर वकील वादीया श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री भगवानदत्त शर्मा व पैरोकार राज के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीया स्वीकार कर डिकी निम्न प्रकार जारी की जाती है :–

वादीया श्रीमती विजयलक्ष्मी को दी जाने वाली भूमि :–

चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के प0न0 234/40 कि0न0 कि0न0 15/0253 क0, 16/0.253 क0, 25/0.085 क0 = 0.591 क0 व प0न0 234/48 कि0न0 11/1/0.228 अ0क0, 12/0.253 अ0क0, 19/0.016 अ0क0 (कि0न0 12 के चिपते) 20/1/0.228 = 0.709 (0.228 क0 0.481 अ0क0) इस प्रकार कुल 1.316 है0 (0.819 कमाण्ड व 0.497 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि

प्रतिवादी रजीराम पुत्र श्री सुरजाराम को दी जाने वाली भूमि

चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के प0न0 235/41 कि0न0 1/1/0.228 क0, 2 व 3/0.506 कमाण्ड = 0.734 है0 कमाण्ड व प0न0 234/48 कि0न0 22/0.084 क0 (कि0न0 23 के चिपते) 23/0.246 अ0क0 कि0न0 24/0.253 अ0क0 = 0.583 है0 (0.499 अ0क0 व 0.084 क0) इस प्रकार कुल 1.317 है0 (0.818 कमाण्ड व 0.499 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

क्रमश : 2 पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:39:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी रुघाराम पुत्र श्री सुरजाराम को दी जाने वाली भूमि

चक 6 एपी तहसील सूरतगढ के प0न0 234/48 कि0न0 18/0.253 अ0क0, 19/0.237 अ0क0, 21/1/0.228 क0, 22/0.169 क0 (कि0न0 21 के चिपते), 23/0.007 अ0क0 (कि0न0 18 के चिपते) = 0.894 है0 (0.497 अ0क0 व 0.397 क0) व प0न0 235/33 कि0न0 5/0.253 क0इस प्रकार कुल 1.317 है0 (0.818 कमाण्ड व 0.499 अ0क0) खातेदारी कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार जारी डिक्री की पालना जरिये इजराय की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

नोज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .... फसदों की पालना .... आज की तारीख से तारीख वसूल वो तक की अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.08.2020 को जारी की गई।

सहायक जिलाधीश
उपखण्ड अधिकारी
एवम् उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ
सूरतगढ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:39:35 IST
Reason: SelfAttested